भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 507

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सस्ते आवास के लिए पहल

507. डॉ. भोला सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-पू) के अंतर्गत सस्ते आवास विकास को सहायता प्रदान करने के लिए कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान सस्ती आवास इकाइयों के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत आवास इकाइयों के समय पर निर्माण और आवंटन में आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में महानगरीय और उच्च मांग वाले शहरी क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भविष्य के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.30 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 18.11.2024 तक देश भर में 88.02 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को

वितरित किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। चालू वित्त वर्ष में, देश भर में 6.14 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और 26.28 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।

योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को छोड़कर, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके। मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। आज तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 राज्यों को किफायती आवास नीतियां तैयार करने में भी सहायता करता है, ताकि किफायती आवास स्टॉक बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके।

*****